

बिहार सरकार**वित्त विभाग****— सूचना —**

बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वाहन चालक (साधारण कोटि) के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की विभागीय स्तर पर दिनांक-09.06.2025 को काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित की गई। उक्त काउंसलिंग में 04 अनुशंसित अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं।

2. तदालोक में संबंधित अनुपस्थित अभ्यर्थियों को द्वितीय अवसर प्रदान करते हुए निम्नवत् निर्धारित काउंसलिंग कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु निदेशित किया जाता है :-

स्थल - वित्त विभाग, भूतल स्थित अराजपत्रित स्थापना (कमरा संख्या-126B), मुख्य सचिवालय, पटना। दिनांक-21.07.2025 समय-10.00 बजे (पूर्वाह्न)		
क्र०	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक
1.	श्री ऋषि रंजन	DR231512879
2.	श्री रवि शंकर चौबे	DR231206129
3.	श्री राजेश कुमार पासवान	DR230315443
4.	श्री उपेन्द्र कुमार गोरवामी	DR230410222

3. अभ्यर्थी जाँच/सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

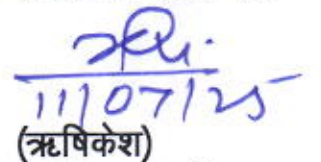
4. अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों (जो उन पर लागू हों) की मूल प्रति तथा उसकी स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (एक सेट में) क्रमवार सुव्यवस्थित कर जाँच दल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:-

- बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निर्गत परीक्षा का प्रवेश-पत्र।
- मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक-पत्र।
- धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (जैसा आवेदन में वर्णित हों) से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
- अन्य शैक्षणिक/विशिष्ट योग्यता (यदि कोई हो) से संबंधित प्रमाण-पत्र जो आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो।
- पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिये सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र।
- यदि पूर्व से नियोजित हो तो पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित कागजात भी उपलब्ध करायेंगे :-

- फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर पहचान-पत्र/पैन कार्ड इत्यादि।
- अभ्यर्थी अपने साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध) लायेंगे। सत्यापन प्रपत्र के विहित स्थान एवं प्रत्येक पृष्ठ पर जाँच दल के समक्ष अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे।
- पासपोर्ट साइज का 04 (चार) फोटो, जैसा कि आवेदन में हो। अभ्यर्थी प्रत्येक फोटो के पीछे अपना नाम एवं अनुक्रमांक अंकित करेंगे।
- विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ-पत्र।

6. प्रमाण-पत्रों के जाँच/सत्यापन में सम्मिलित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।


(ऋषिकेश)

सरकार के अवर सचिव।